न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 39/2016

अनवान :–

श्री मुरारीलाल शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन,बीकानेर(राजस्थान)

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री बजरंगलाल पुत्र श्री गंगासागर (विक्रेता एवं मैनेजर) मैसर्स वर्षा ऋतु अम्बेडकर सर्किल के पास, बीकानेर– निवासी नई लाईन हनुमान मन्दिर के पास, गंगाशहर बीकानेर
2. श्रीमती सरिता मारू भागीदार मैसर्स वर्षा ऋतु अम्बेडकर सर्किल के पास, बीकानेर
3. श्री ओमप्रकाश मारू भागीदार मैसर्स वर्षा ऋतु अम्बेडकर सर्किल के पास, बीकानेर
4. रितु मारू भागीदार मैसर्स वर्षा ऋतु अम्बेडकर सर्किल के पास, बीकानेर
5. श्रीमती वर्षा मारू भागीदार मैसर्स वर्षा ऋतु अम्बेडकर सर्किल के पास, बीकानेर
6. श्री अमित कुमार शर्मा भागीदार मैसर्स वर्षा ऋतु अम्बेडकर सर्किल के पास, बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खादय सुरक्षा अधिकारी
2– अप्रार्थी सं. 1 व 4 ता 6 की ओर से – श्री मानवेन्द्र अधिवक्ता
3– अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से – श्री देवकीनन्दन शर्मा अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 26.02.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री मुरारीलाल शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 29.07.2015 को मय जांच दल के साथ अप्रार्थीपक्ष श्री बजरंगलाल पुत्र श्री गंगासागर (विक्रेता एवं मैनेजर) मैसर्स वर्षा ऋतु अम्बेडकर सर्किल के पास, बीकानेर. के यहां फर्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उक्त के यहां 20 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम पैंकिंग के भुजिया (वर्षा ऋतु) पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर उक्त भुजिया (वर्षा ऋतु) पैकेटों में से 4 पैकेट 500 ग्राम पैंकिंग वास्तु जांच नमूना हेतु मौके पर उपस्थित गवाहान की उपस्थिति में क्रय किये जिसकी कुल कीमत 280/– श्री बजरंगलाल को नगद देकर माल खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता, गवाहान व स्वयं प्रार्थी खासुअ ने हस्ताक्षर किये। तदनत्तर उक्त नमूना जांच हेतु क्रय किये गये भुजिया (वर्षा ऋतु) के चार पैकेटों के एक–एक पैकेट के चार पैकेट बनाकर लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी ने कर चारों पैकेटों पर अलग–अलग गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पैकेट को खाकी मोटे कागजों में लपेटकर गोंद से चिपकाकर उन पर पेपर स्लिप कोड नम्बर एवं सीरियल नम्बर एबी– 524 पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पैकेट को मोटे डोरे से बांधकर नियमानुसार प्रत्येक पैकेट को चार–चार जगह एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर उन पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में लेकर मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी ने किये । उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS.1918/Act/ 2015/1139 दिनांक 07.09.2015 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ भुजिया (वर्षा ऋतु) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ भुजिया (वर्षा ऋतु) मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 1,4 ता 6 की ओर से श्री मानवेन्द्र अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री देवकीनन्दन अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ भुजिया (वर्षा ऋतु) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Bhujiya (Varsha Ritu वर्षा ऋतु)" bearing Code No. and Sr. No. AB-524 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2(2) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011. & Contravention to Regulation ,2.2.2(8)(10),(5)(ii)(b) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ भुजिया (वर्षा ऋतु) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि प्रकरण में नमूना वास्ते जांच दिनांक 30.07.2015 को स्वास्थ्य विश्लेषक जयपुर को प्राप्त हुआ। नमूने की जांच के पश्चात मुख्य खाद्य विष्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट 07.09.15 को अभिहित अधिकारी को भेजी गयी। फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्डस रूल्स 2011 के रूल 2.4.2(5) के प्रावधानों के अनुसार नमूना जांच रिपोर्ट नमूने की प्राप्ति के चौरह दिनों में भेजी जानी आवश्यक है। प्रकरण में उक्त रूल के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट 40 दिनों के बाद भेजी गई जो विधि विरूद्ध एवं शून्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म में विक्रय हेतु रखी भुजिया पैकेटों में मिलावट होने का अंदाजा लगाया तथा भुजिया के चार पैकेट नमूने हेतु खरीद किये तथा उक्त नमूनों के चार पैकेट बनाये उन पर लेबल लगाये, चारों पैकेटों को खाकी मोटे कागजों में लपेट कर गोंद से चिपका कर उन पर पेपर स्लिप लगाई तथा मोटे डोरे से बांधा उन पर चार–चार जगह सील चपडी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास मौके पर खाकी मोटा कागज, गोंद व मोटा डोरा कहां से आया, मौके पर ही उक्त कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट तैयार की, फिर उसी दिन कार्यालय में नमूनों को जांच के लिए भेजे जाने की कार्यवाही की गई। नमूनें की उक्त वर्णित कार्यवाहियां की और उसी रात को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी कार्यवाही अकेले ही कर के नमूना जांच हेतु जयपुर रवाना हो गये। इतने कम समय में सारा कार्य करना संभव नहीं है। परिवादी ने सभी कथन गलत बयान किये है,

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

जिन्हें साक्ष्य या जिरह ही साबित किया जा सकता है। प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों/कृत्यों से इन्कार करता है तथा तथाकथित सैम्पल लेने की वर्णित कार्यवाही को पूर्णतया अविश्वसनीय करता है। इन सभी तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। सभी तथ्य साक्ष्य द्वारा साबित किये जा सकते है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मुरारीलाल क्र.स. 9 पर है, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी अधिकारी नहीं हो सकते है। प्रकरण में सैम्पल भुजिया का है जबकि अभियोजन स्वीकृति रसगुल्ला की दी है। इसलिए अभिहित अधिकारी द्वारा शून्य व विधि विरूद्ध जांच रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया तथा शून्य व विधि विरूद्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध आरोप लगाये गय है जो चलने योग्य नहीं है। अतः परिवाद परिवादी न्याय हित में मय हर्जे खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ भुजिया (वर्षा ऋतु) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ भुजिया (वर्षा ऋतु) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS.1918/Act/ 2015/1139 दिनांक 07.09.2015 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Bhujiya (Varsha Ritu वर्षा ऋतु)" bearing Code No. and Sr. No. AB-524 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2(2) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011. & Contravention to Regulation ,2.2.2(8)(10),(5)(ii)(b) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है।

6. यहां यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन है कि परिवादी स्टेट द्वारा यह परिवाद खाद्य पदार्थ भुजिया (वर्षा ऋतु) मिसब्राण्ड का प्रस्तुत किया गया है। जबकि सक्षम अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर द्वारा इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति क्रमांक 2882 दिनांक 23.06.2016 द्वारा सबस्टेण्डर्ड रसगुल्ला (छैना मिठाई) का जुर्म अप्रार्थी द्वारा कारित किए जाने के संबंध में दी है। इसलिए खाद्य पदार्थ भुजिया (वर्षा ऋतु) मिसब्राण्ड जुर्म के संबंध में इस प्रकरण में कोई विचार नहीं किया जा सकता है। परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपर्युक्त आधारों पर खाद्य पदार्थ भुजिया (वर्षा ऋतु) की अभियोजन स्वीकृति के अभाव में खारिज किये जाने योग्य के कारण अप्रार्थीगणों के विरूद्ध उक्त जुर्म में प्रसंज्ञान नहीं लिये जाने का आदेश दिया जाता है। अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध परिवादित कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 ता 6 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner